झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :– रा0खा0आ0 (शि0) राँची/PDS–12/2022 – 931

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः– 10.11.2023

विषयः– जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत राशन दुकान गलत ढ़ंग से आवंटित करा लिये जाने के आरोप से संबंधित परिवाद पत्र पर कार्रवाई के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि मो0 सलीम, पता–कोनका, कलालटोली, चर्च रोड, राँची का परिवाद पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है। प्राप्त परिवाद पत्र PDS डीलर हारून रशीद की मृत्यु के उपरान्त अनुकंपा के आधार पर मिलने वाले राशन दुकान का आवंटन अवैध तरीके से उनके तीसरे बेटे मो0 फिरोज रशीद द्वारा करा लिये जाने का आरोप लगाया गया है।

अतः प्राप्त परिवाद पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

10/11/23

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

1137
30/10/23

270

31/10/23

सेवा में

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची

विषय :- जन-वितरण प्रणाली अंतर्गत राशन दुकान को गलत ढंग से आवंटित करने के संबंध में।

M.S
S/o
31.10.23

महाशय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि, मैं मो० सलीम पिता मो० हारून रशीद। मेरे पिता मो० हारून रशीद का जन-वितरण प्रणाली अंतर्गत राशन दुकान मौलाना आजाद कॉलोनी वार्ड नं०-12 में है। पिता हारून रशीद की मृत्यु 15-02-22 को हो गई। हारून रशीद के पाँच बेटे और चार बेटियाँ हैं। हारून रशीद के मृत्योपरांत नियमतः जन-वितरण प्रणाली अंतर्गत राशन दुकान बड़े बेटे मो० सलीम (मुझे) को मिलना चाहिए। जबकि दोनों बड़े बेटे मो० सलीम, मो० जावेद को छोड़ कर, राशन दुकान तिसेर बेटे मो० फिरोज राशीद को आवंटित किया गया जो गलत ढंग से किया गया है। हम दोनों भाई मो० सलीम एवं मो० जावेद सप्लाई ऑफिस में 18-02-22 को आवेदन दिए थे। S.O.R अल्बर्ट बिल्डंग ने कहा था कि, फोन करूँगा तो आना, लेकिन उन्होंने ना फोन किया ना बुलाया और बिना हम दोनों भाईयों से N.O.C मांगे दुकान फिरोज राशीद को आवंटित कर दिए। इसके बाद सप्लाई ऑफिस में कोई सुनवाई नहीं होने के बाद हमने उच्च न्यायालय में अपील की जिसका case no.- W.P.(C) 8351 है। इसके बाद दिनांक 15.03.23 को आदेश आया कि, उपायुक्त छः सप्ताह के अंदर फैसला करना है। 04-08-23 को हम दोनों भाइयों के पास नोटिस आया और फिरोज राशीद के पास भी नोटिस गया। हम दोनो मो० सलीम, मो० जावेद उपायुक्त के सामने उपस्थित हुए, जबकि फिरोज राशीद अनुपस्थित था। दूसरा नोटिस 18-08-23 को आया जब मो० सलीम मो० जावेद और बहन आसना नासरीन उपस्थित हुए। फिरोज राशीद के वकील ने ये बात सामने रखी कि, मो० हारून रशीद एक कमीटी में ये वसियत बनाए थे कि, मेरे मृत्यू के पश्चात राशन दुकान तिसरे बेटे फिरोज राशीद को दिया जाए, जबकि कमीटी द्वारा जो [illegible] बनाया गया वो फिरोज राशीद ने दबाव देकर [illegible] ये वसियत बनवाया था।

प्राप्ति [illegible]
31/10/23

224
31.10.23

Vivo V11Pro
AI Dual Camera
2023.10.29 21:43

(269)

इस वसियत के आधार पर ही उपायुक्त ने 24-08-23 को फैसला कर दिया कि राशन दुकान फिरोज राशीद को ही दिया जाए।

इन सारे मामले में फिरोज राशीद ने अवैध तरीके से दुकान लिया है, जिसकी सूची निम्न प्रकार है।

1) दो बहन शबनम आरा और आसना नासरिन से फिरोज राशीद ने ये कहा कि, बैंक से पैसे निकालने है, कागजात पर हस्ताक्षर करो, झूठ बोल कर N.O.C के कागज पर हस्ताक्षर करवाए, जबकि दोनो बहन इसके लिए सहमत नहीं थी।

2) पिता हारून रशीद का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, और जिस वसियत के आधार पर फिरोज राशीद दुकान लिया है, तो फिर वैसी ही एक और वसियत मो० सलीम मो० जावेद के नाम पर भी पिता ने बनाई है, जिसे हम दोनो भाई उपायुक्त के समक्ष पेश नहीं कर पाए ना पेश करने का मौका मिला।

3) मो० फिरोज ने बैंक-कार्य हेतु आंचल से पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र बनवाया जिस पर से हम दोनो भाई मो० सलीम, मो० जावेद का नाम हटा दिया

4) दुकान मिल जाने के बाद मो० फिरोज ये कह रहा है कि, मैंने बेहिसाब पैसे खर्च कर के दुकान लिया है।

अब मैं ये जानना चाहता हूं कि, मो० फिरोज ने पैसे कहाँ-कहाँ खर्च किए हैं? क्या पैसे खर्च करने से किसी को भी अवैध तरीके से दुकान आवंटित कर दिया जाता है? क्या P.D.S दुकान किसी की निजी संपत्ती है? अगर नहीं, तो फिर कोई सरकारी संपत्ती को वसियत में किसी को कैसे दे सकता है।

अतः श्रीमान से अनुरोध करता हूं कि, मैं मो० सलीम बड़ा बेटा हूं, और गरीब भी हूं। पूरे मामले की जांच कर के उचित कार्रवाई करते हुए P.D.S दुकान मुझे चलाने की अनुमती दी जाए।

आपका विश्वासी

मो० सलीम - Md Salim

Mobile no - 9304317767

पता - कोनका कलाल टोली चर्च रोड रांची।

सम्पत्ति का पूर्ण विवरण :- पी०डी०एस० (राशन) दुकान लाईसेंस नं०- 926/84 वार्ड नं०- 11, मौलाना आजाद कॉलोनी, गली नं०- 1, लोआडीह कांटाटोली, जिला- राँची, झारखण्ड।

विदित हो कि पी०डी०एस० (राशन) दुकार लाईसेंस नं०- 926/84, वार्ड नं०- 11 वसीयतकर्त्ता के नाम से है तथा उक्त पी०डी०एस० (राशन) को चलाकर मैं अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहा हूँ।

संदर्भ

वसीयतकर्त्ता 20.08.2019 में छोटा बेटा मो० फिरोज राशीद के नाम से एक वसीयत बनए थे। वसीयत बनाने के कुछ साल बाद वसीयतकर्त्ता बिमार रहने लगे। चुँकी छोटा बेटा मो० फिरोज राशीद बिमारी पर ध्यान नहीं दे रहा तो वसियतकर्त्ता अपने बड़े बेटे मो० सलीम एवं मो० जावेद को बूला कर अपने ही पी०डी०एस० (राशन) दुकान से मो० फ़िरोज राशीद से अपने इलाज के लिए कुछ पैसे मंगने के लिए भेजे तो फिरोज राशीद अपने दोनो बड़े भाइयों के साथ मारपीट गाली-गलौज करने लगा। अब वसीयतकर्त्ता मजबूर हो कर पूर्व बनाई गई 20.08.2019 की वसीयत को रद्द कर रहे है। और दोनो बड़ा बेटा मो० सलीम मो० जावेद वसीयतकर्त्ता का देखभाल कर रहे हैं। तो वसीयतकर्त्ता अपनी खुशी से द्वितिय वसीयत मो० सलीम मो० जावेद के नाम से बना रहे है। जिसमें पी०डी०एस० (राशन) दुकान ल० नं०- 926/84 वार्ड नं० 11 अपने दोनो बड़े बेटे के नाम से वसीयत कर रहे हैं।

मो० हारुण
28/3/2020

यह कि मेरे मृत्यु के बाद मेरे पुत्र मो० सलीम पी०डी०एस० (राशन) दुकान लाईसेंस नं०- 926/84, वार्ड नं०- 11 का लाईसेन्स अनुकम्पा के आधार पर अपने नाम से ले लेगें। इस पर मेरे किसी भी पुत्र या पुत्रीयों का कोई आपत्ती नही होगी। यदि कोई आपत्ति करे तो वह गैर कानूनी होगा।

यह कि मेरे मृत्यु के बाद मेरे पुत्र मो० सलीम ही मेरे परिवार का भरण-पोषण करेंगे।

2 8 MAR 2020

EHSAN HUSSAIN NOTARY PUBLIC Regd. No. 1352/18 Govt. of India (Jharkhand) Ranchi

Vivo V11Pro
AI Dual Camera
2023.10.29 10:29

(287)

अतः सब कुछ सोच समझ कर तन-मन की स्वस्थ अवस्था में रहकर यह वसीयतनामा लिखवाकर पढ़ तो पढ़वाकर सब कुछ सही लिखा पाकर बिना किसी के बहकावे या दबाव में आये अपने स्वेच्छा से ठेपा/हस्ताक्षर से सम्पन्न कर आज की तिथि से निबंधन कार्यालय में कराते है कि समय पर काम आवे।

मो० हारुण
28/3/2020

गवाह का हस्ताक्षर

वसीयतकर्त्ता का हस्ताक्षर

① G Kabil (Gousn Kabil)
28/03/2020

② Mokhtar ALAM.
28/3/20

Id by

28.03.2020

Signature Attested on Identification of Lawyer

EHSAN HUSSAIN
NOTARY PUBLIC
Reg. No. 13528/18
Govt. of India (Jharkhand) Ranchi

28 MAR 2020

28/3/2020

NOTARY PUBLIC
RANCHI

Vivo V11Pro
AI Dual Camera

2023.10.29 10:30

(266)

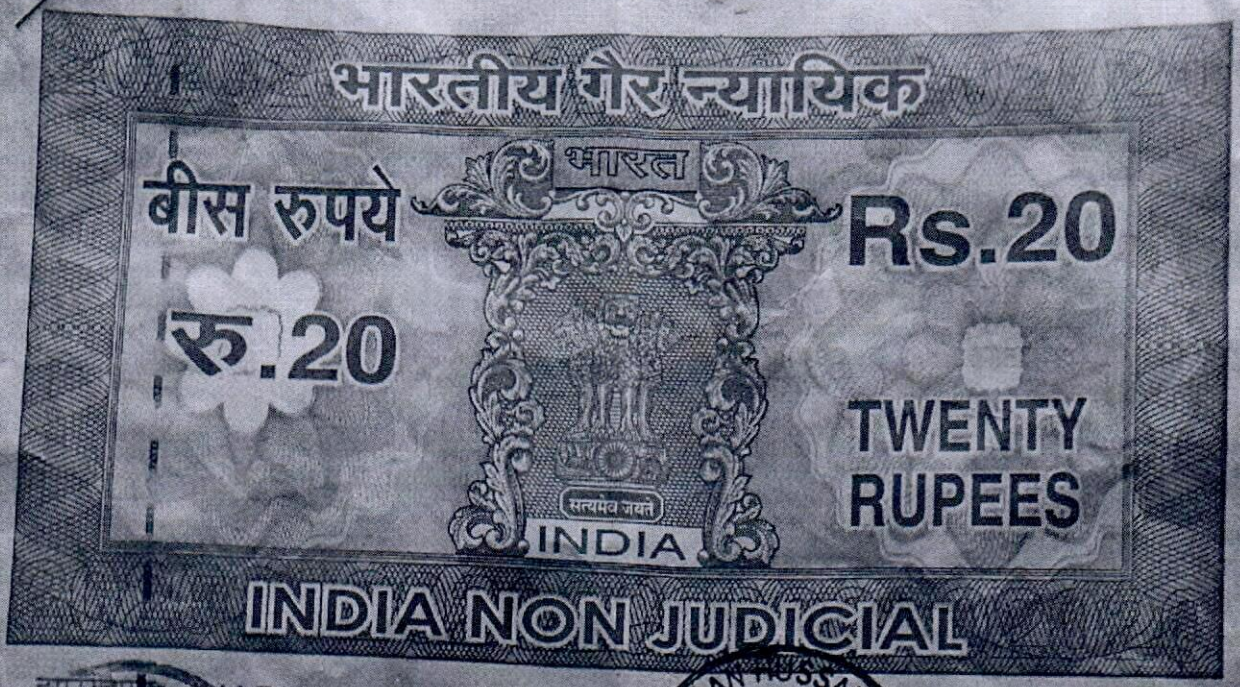

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये रु.20 भारत Rs.20 TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

INDIA NON JUDICIAL

झारखण्ड JHARKHAND

06AA 123969

EHSAN HUSSAIN NOTARY PUBLIC Reg. No. 13528/18 Govt. of India (Jharkhand) Ranchi

Authorised Under Notaries Act 1952 and Notaries Rules 1956 by Govt. of India (Jharkhand)

28 MAR 2020

वसीयतनामा पत्र

यह वसीयतनामा पत्र आज दिनांक 28.03.2020 ई॰ को निम्न प्रकार सम्पन होता है :-

वसीयतकर्त्ता का नाम एवं पता :- मोहम्मद हारून पिता स्व॰ मो॰ इमामुद्दीन, निवास स्थान- कलालटोली, चर्च रोड, थाना- लोअर बाजार, जिला- राँची, झारखण्ड, भरतीय नागरिक। आधार सं॰- 0442 2442 4226

वसीयतग्रहीता का नाम एवं पता :- मो॰ सलीम पिता मोहम्मद हारून, निवास स्थान- कलालटोली, चर्च रोड, थाना- लोअर बाजार, जिला- राँची, झारखण्ड, भरतीय नागरिक। आधार सं॰- 6210 2581 5878

लेख प्रकार :- वसीयतनामा (डीड ऑफ वील)

EHSAN HUSSAIN NOTARY PUBLIC Reg. No. 13528/18 Govt. of India (Jharkhand) Ranchi

मो॰ हारूण 28/3/2020

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

अनुज्ञप्तिधारी हारूण रसीद कि मृत्यु दिनांक 15 फरवरी 2022 में हो गई। वे अपने पीछे (1) सफीना नाज (2) शवनम आरा (3) मो० सलीम (4) मो० जावेद (5) मो० फिरोज रशिद (6) अफरोज राशिद (7) आसना नसरीन (8) शबा नाजनीन (9) फिरदौस रशिद छोड़ गये, परन्तु अनुज्ञप्तिधारी के तृतीय पुत्र मो० फिरोज रशिद ने स्व० हारून रसीद के नाम से जाली हस्ताक्षर के द्वारा फर्जी वसीयत बनाकर उसके आधार अनुकम्पा के आधार पर राशन दुकान आवंटित करा लिया है। स्व० हारूण के द्वारा कोई वसियत किसी भी मामले पर नहीं किया है, जिस वसियत के आधार पर मो० फिरोज रशिद अपना दावा करते है वह वसियत दिनांक 20 अगस्त 2019 का है, यदि स्व० हारूण ऐसा कोई वसियत करते तो वह अपने जीवनकाल मे उसकी चर्चा जरूर करते। फिरोज राशिद ने स्व० हारूण राशिद के नाम से रहे जन वितरण प्रणाली दुकान को अपने नाम से कराने की नियत से फर्जी हस्ताक्षर कर जाली वसियत कागज बनाया है, जिसके आधार पर संबंधित विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा स्व० हारूण के सभी पुत्र एवं पुत्रियों से बिना सहमति प्राप्त किये उक्त जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति फिरोज रशिद के नाम से अनुकम्पा के आधार पर निर्गत करा लिया गया है। फिरोज रशिद को नियम के विरूद्ध अनुकम्पा के आधार पर अनुज्ञप्ति निर्गत किया गया है।

प्रस्तुत मामले मे विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, राँची ने पत्रांक 944 (ii) दिनांक 17.08.2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि श्री फिरोज रशिद के द्वारा संलग्न वांछित कागजातो/दस्तावेजों के आधार पर सरकारी अधिवक्ता, राँची के द्वारा विधिक परामर्श समर्पित किया गया है कि *Having regard to the aforesaid facts appeared from you said letter and documents provided, I am of the view that after the death of Late Md. Haroon, Public Distribution System shopkeeper being license no-926 / 84, in his place, his son Md. Firoz Rashid may be issued a license of PDS shop on compassionate ground."*

अतएव प्राप्त विधिक मंतव्य जाँच प्रतिवेदन एवं झारखण्ड लक्षित

Vivo V11Pro
AI Dual Camera
2023.10.29 10:3

264

अनुसूची 14 — फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3
	4	

facts appeared from you said letter and documents provided, I am of the view that after the death of Late Md. Haroon, Public Distribution System shopkeeper being license no-926 / 84, in his place, his son Md. Firoz Rashid may be issued a license of PDS shop on compassionate ground."

अतः उपरोक्त तथ्यो के आलोक मे आपत्तिकर्त्ता मो० सलीम एवं मो० जावेद दोनो पिता स्व० मो० हारूण, पता— कोनका कलाल टोली (चर्च रोड), थाना— लोअर बजार, जिला— राँची, राज्य— झारखण्ड के द्वारा दायर आपत्ति संधारणीय नही है एवं खारिज किया जाता है तथा फिरोज रशिद के नाम से जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति सं०— जे०एच०—33058—364—2022—07 बहाल रखा जाता है।

उपायुक्त—सह—जिला दण्डाधिकारी,
राँची।

ज्ञापांकः— 3083(ii) / दिनांकः— 21/8/23

प्रतिलिपिः— विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, राँची को मूल संचिका के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त—सह—जिला दण्डाधिकारी,
राँची।

ज्ञापांक 3171(ii) दिनांक 25/8/23

प्रतिलिपि :→ मो० सलीम वो मो० जावेद पिता स्व० मो० हारूण एवं मो० फिरोज रशीद पिता स्व० मो० हारूण रशीद सा० कोनका कलाल टोली चर्च रोड थाना लोअर बाजार जिला रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी रांची
25/8/23

Vivo V11Pro
AI Dual Camera
2023.10.29 10:32

अनुसूची 14 — फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3
	4	

जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश के आलोक में विहित प्रक्रिया के तहत् फिरोज रशिद के नाम से जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति सं०— जे०एच०—33058—364—2022—07 निर्गत किया गया है।

अनुज्ञप्तिधारी मो० फिरोज रशिद ने दावा किया गया है कि स्व० मो० हारूण के द्वारा उनके दोनो पुत्र मो० सलीम एवं मो० जावेद को अपने सम्पत्ति से बेदखल कर दिया गया था तथा दिनांक 01.05.2015 को निष्पादित घोषणा पत्र के माध्यम से उनके द्वारा उनसे रिश्ता एवं ताल्लुकात समाप्त करने संबंधी घोषणा किया गया था एवं तत्पश्चात् स्व० हारूण ने दिनांक 20.08.2019 को वसीयतनामा पत्र का निष्पादन कर यह इच्छा जाहिर किया था कि उनके मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्र मो० फिरोज रशिद पी० डी० एस० लाईसेन्स सं० 926/84 को अनुकम्पा के आधार पर अपने नाम से ले लेंगे। मो० हारूण के मृत्यु के उपरान्त मो० फिरोज रशिद के द्वारा अनुकम्पा के आधार पर अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु अवेदन दाखिल किया गया, जिसपर अफरोत रशिद, फिरदोश रशिद, आशना नसरीन, सबा परवीन, सबनम आरा, सफीना नाज सभी पिता स्व० मो० हारूण के द्वारा मो० फिरोज रशिद के पक्ष मे अनुकम्पा के आधार पर अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनापत्ति घोषित करते हुए शपथपत्र समर्पित किया गया है।

उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि स्व० मो० हारूण के द्वारा अनुज्ञप्तिधारी मो० फिरोज रशिद के पक्ष मे वसीयतनामा का निष्पादन किया गया था, जिसमे उन्होने अपने मृत्यु के उपरान्त अनुज्ञप्ति सं० 926/84 को अनुकम्पा के आधार पर अपने पुत्र मो० फिरोज रशिद के नाम से निर्गत करने की इच्छा प्रकट किया है। माननीय उच्चतम् न्यायालय के द्वारा Clarence Pais & Ors vs Union Of India मे आयोजित किया है कि No probate is necessary in the case of wills by Muhammadans,

इस संबंध मे विद्वान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा भी विधिक परामर्श समर्पित किया गया है कि *Having regard to the aforesaid*

Vivo V11Pro
AI Dual Camera
2023.10.29 10:32

(262)

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

4

कार्यालय उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, राँची।
(विधि शाखा)
आदेश

18.08.2023 संचिका उपस्थापित। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा डब्लु० पी० (सी०) सं० 5381 वर्ष 2022 (मोहम्मद सलीम उर्फ मो० सलीम बनाम झारखण्ड सरकार वगैरह) मे आदेश दिनांक 15.03.2023 के द्वारा निम्नांकित निदेश पारित किया गया है – In view of the limited prayer made by the petitioner in this writ application, the same stands disposed of with a direction to the respondent no. 2 to consider the objection raised by the petitioner as well as his another brother namely Md. Javed within a period of six weeks from the date of receipt/production of a copy of this order by passing a reasoned order on the same after giving an opportunity of hearing to the petitioner, his brother Md. Jawed and the respondent no. 5

उपरोक्त पारित आदेश के आलोक में आवेदक एवं उनके भाई मो० जावेद एवं याचिका के विपक्षी नं०–5 मो० फिरोज रशिद को नोटिस निर्गत किया। वे अपने–अपने अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित हुए।

संचिका के अवलोकनुसार मौलाना आजाद कॉलोनी वार्ड सं० 12 के अन्तर्गत जनवितरण प्रणाली दुकानदार अनुज्ञप्ति सं० 926/84 हारूण रशिद के नाम से निर्गत था। अनुज्ञप्तिधारी हारूण रशिद कि मृत्यु दिनांक 15 फरवरी 2022 में हो गई, जिसके उपरान्त अनुकम्पा के आधार पर उनके पुत्र मो० फिरोज रशिद को वार्ड सं० 12 मे राशन दुकान आवंटित कर दिया गया है, जिसका नया अनुज्ञप्ति सं० जे०एच०–33058–364–2022–07 है।

आपत्तिकर्ता मो० सलीम एवं मो० जावेद दोनो पिता स्व० मो० हारूण, पता– कोनका कलाल टोली (चर्च रोड), थाना– लोअर बजार, जिला– राँची, राज्य– झारखण्ड द्वारा आरोप लगाया गया है कि मौलाना आजाद कॉलोनी वार्ड सं० 12 के अन्तर्गत जनवितरण प्रणाली दुकानदार अनुज्ञप्ति सं० 926/84 हारूण रशिद के नाम से निर्गत था।

Vivo V11Pro
AI Dual Camera
2023.10.29 10:31

261

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20

INDIA NON JUDICIAL

JHARKHAND

04AA 588498

वसीयतनामा पत्र

यह वसीयतनामा पत्र आज दिनांक 20.08.2019 ई0 को निम्न प्रकार सम्पन्न होता है :-

वसीयतकर्ता का नाम एवं पता :- मोहम्मद हारून पिता स्व0 मो0 इमामुद्दीन, निवास स्थान - कलालटोली, चर्च रोड, थाना - लोअर बाजार, जिला - रांची, झारखण्ड, भारतीय नागरिक।

आधार सं0 - 6442 2442 4226

वसीयतग्रहीता का नाम एवं पता :- मो0 फिरोज राशिद पिता मोहम्मद हारून, निवास स्थान - कलालटोली, चर्च रोड, थाना - लोअर बाजार, जिला - रांची, झारखण्ड, भारतीय नागरिक।

आधार सं0 - 6094 9098 2950

लेख्य प्रकार :- वसीयतनामा (डीड ऑफ वील)।

मो0 ह0 20/8/2019

NOTARY PUBLIC

Vivo V11Pro
AI Dual Camera
2023.10.29 10:32

सम्पत्ति का पूर्ण विवरण :- पी.डी.एस. (राशन) दुकान लाईसेंस नं0 - 926/84, वार्ड नं0 11, मौलाना आजाद कॉलोनी, गली नं0 1, लोआडीह, कांटाटोली, जिला - रांची, झारखण्ड।

विदित हो कि पी.डी.एस. (राशन) दुकान लाईसेंस नं0 - 926/84, वार्ड नं0 11 वसीयतकर्ता के नाम से है तथा उक्त पी.डी.एस. (राशन) को चलाकर मैं अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहा हूँ।

यह भी विदित हो कि उक्त पी.डी.एस. (राशन) को मैं तथा मेरा पुत्र मो0 फिरोज राशीद जब से होश संभाला है मेरे साथ मिलकर दुकान चला रहा है।

यह कि मेरा दो पुत्र 1. मो0 सलीम एवं 2. मो0 जावेद का मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। जिस कारण मैने दिनांक 01.05.2015 ई0 को एक घोषणा पत्र बनाकर बेदखल कर दिया हूँ। जिसका स्टाम्प पेपर नं0 04एए 739614 है।

संदर्भ

चूंकि वसीयतकर्ता काफी वृद्ध हो चुके है आये दिन तबियत खराब होते रहता है और वसीयतकर्ता अपने पुत्र मो0 फिरोज राशीद पर आश्रित है। वसीयतकर्ता की देख-रेख उनका पुत्र मो0 फिरोज राशीद ही करते है। इसलिए वसीयतकर्ता अपने खुशी मिजाज से अपने पी.डी.एस. (राशन) दुकान लाईसेंस नं0 - 926/84, वार्ड नं0 11 को अपने पुत्र मो0 फिरोज राशीद के नाम से पहली वो अंतीम वसियत लिखवाकर सम्पन्न कर रहे है कि समय पर काम आवे।

यह कि मेरे मृत्यु के बाद मेरे पुत्र मो0 फिरोज राशीद पी.डी.एस. (राशन) दुकान लाईसेंस नं0 - 926/84, वार्ड नं0 11 का लाईसेंन्स अनुकम्पा के आधार पर अपने नाम से ले लेगें। इस पर मेरे किसी भी पुत्र या पुत्रीयों को कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि कोई आपत्ति करे तो वह गैर कानूनी होगा।

यह कि मेरे मृत्यु के बाद मेरे पुत्र मो0 फिरोज राशीद ही मेरे परिवार का भरण-पोषण करेगें।

यह कि इससे पूर्व मेरे द्वारा किसी भी व्यक्ति के नाम से कोई वसीयत नहीं किया है, अगर मेरे मृत्यु के बाद ऐसा पाया जाता है तो वह गलत माना जायेगा। जिसकी मैं घोषणा करता हूँ।

10 AUG 2019

मो० इरफान 20/8/2019

NOTARY PUBLIC

Vivo V11 Pro AI Dual Camera

2023.10.29 10:33

259

(21)

अतः सब कुछ सोच समझ कर तन-मन की स्वस्थ अवस्था में रहकर यह वसीयतनामा लिखवाकर पढ़ (व) पढ़वाकर सब कुछ सही लिखा पाकर बिना किसी के बहकावे या दबाव में आये अपने स्वेच्छा से ठेपा/हस्ताक्षर से सम्पन्न कर आज की तिथि से निबंधन कार्यालय में कराते है कि समय पर काम आवे।

गवाह का हस्ताक्षर

1. रिजवान अहमद
20/8/2019

2. [illegible]
20/08/2019

वसीयतकर्ता का हस्ताक्षर

मो० इरशाद
20/8/2019

मो० इरशाद
20/8/2019

AUG 2019

Both executant have put their signature in the presence of witness and whose is identified by Advocate.

20/08/2019
Advocate
En No. 1212/83

KUMAR
NOTARY PUBLIC
Regd. 445/11
Ranchi Jharkhand (India)

Signature Attested on Identification of Lawyer

Vivo V11Pro
AI Dual Camera
2023.10.29 10:33